(225)

कमिश्नर आफिस
रीवा संभाग, रीवा म० प्र०
12 SEP 2010

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश ग्वालियर ।

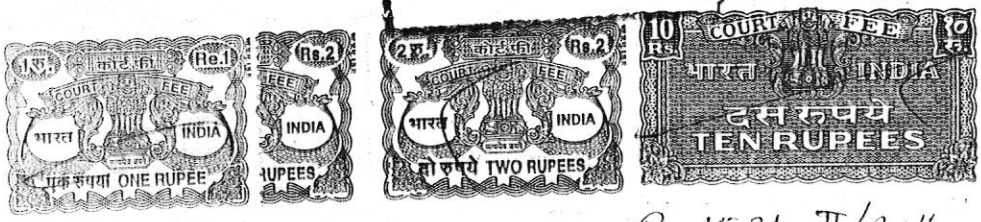

R-1521-II/2011

आम जनता ग्राम समान रीवा द्वारा- मकदूम अली कांजी तनय श्री मोहम्मद अली कांजी , निवासी समान, तहसील-हुजूर, जिला-रीवा (म०प्र०) --

-------- आवेदक/निगरानीकार

विरुद्ध

1- सर्व विश्वेसरैया गृह निर्माण समिति समान , रीवा, जिला-रीवा (म०प्र०)

2- म०प्र० राज्य

------- अनावेदकगण/गैर निगरानीकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 230/अपील/05-06 आदेश दिनांक- 21/6/2011 अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू- राजस्व संहिता 1959ई.

क्रमांक 3182
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 20-9-11 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य :-

यहकि आम जनता ग्राम समान के नाम से मकदूम अली कांजी ने एक आवेदन-पत्र संहिता की धारा- 32, 115, 116 के आधीन तहसील-हुजूर, के न्यायालय में दिनांक 4/5/2002 को प्रस्तुत करके भूमि नम्बर- 323, 519, 521 स्थित मोहल्ला समान रीवा जिला-रीवा के राजस्व अभिलेख में आम सार्वजनिक सड़क दर्ज किये जाने व सम्बन्धित राजस्व नक्शे में आम रास्ता के बावत् तर्मीम करने का निवेदन किया गया व म०प्र० राज्य को अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाया गया, तहसीलदार महोदय द्वारा पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त करके उक्त आवेदन की सुनवाई की गई है। जिसमें तहसीलदार महोदय द्वारा सार्वजनिक मार्ग अंकित करने का आदेश पारित किया गया । जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिससे परिवेदित होकर निम्न आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है ।

M. Ali Qazi

क्रमशः (02)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.1521–III/11 जिला–रीवा

आमजनता ग्राम समान/सर्व विश्वे सरैया गृह निर्माण समिती

(1)	(2)	(3)
22.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक के वारिसान तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	